16/00327 5 04/11/16

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 215/2017 अनवान हुकमाराम बनाम नाथूसिंह**		नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
24/01/18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1153/829 रकबा 05.10 भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 का कथन है कि नेखमबन्दी की कार्रवाई उसके पक्षकार की उपस्थिति में की जावें। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1153/829 रकबा 05.10 भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल—सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

थायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक – 23/01/18

/रीडर/2018/267

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
हुकमाराम पुत्र श्री कलाराम जाति माली निवासी अलाणियों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 नाथूसिंह 2 कानसिंह 3 किशनसिंह पिसरान आम्बसिह जाति राजपूत निवासी अलाणियों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर 4 अशुल डोसी पुत्र बाबूलाल डोसी जाति जैन निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 22/01/18

राजस्व आवेदन संख्या :– 215/2017

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1153/829 रकबा 05.10 भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बावत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 23/01/18

क्रमांक :– रीडर/2018/ 268-71

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हुकमाराम पुत्र श्री कलाराम जाति माली निवासी अलाणियों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी नाथूसिंह पुत्र आम्बसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी अलाणियों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner